Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

0/ 552 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट-अनुभाग)

दिनॉक :: लखनऊ :: 30 जुलाई, 2009

-: आदेश :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 49 के उपबन्धों के अधीन स्थापित वाणिज्य कर विभाग की समस्त जॉच चौकियों / रेलवे जॉच चौकियों को दिनांक 30/31 जुलाई 2009 की अर्द्ध रात्रि से शासन द्वारा समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा **52 सपठित नियम 58** (वैट नियमावली) में प्राविधानित **राज्य से होकर सड़क मार्ग से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र की व्यवस्था** भी समाप्त करके ऐसे माल के पारगमन हेतु संशोधित व्यवस्था प्रभावी किये जाने का भी निर्णय लिया गया है । इस संबंध में उक्त अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्राविधानों में आवश्यक संधोधन प्रस्तावित है । अत: शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रियान्वयन की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 50 / 52 सपठित नियम 58 के उपबन्धों के अधीन मैं अनिल संत , कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा **6(ए) एवं धारा 52 सपठित नियम 58 (5)** वैट नियमावली में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अनुसूची एक के अतिरिक्त **समस्त करयोग्य माल** के प्रदेश मे **आयात एवं परिदान** तथा प्रदेश की सीमा से होकर **पारगमन हेतु परिवहित** होने वाले माल के संबंध में **निम्न व्यवस्थायें** प्रभावी करता हूँ :-

1- समस्त जॉच चौकियों / रेलवे जॉच चौकियों की समाप्ति के फलस्वरुप आयात घोषणा पत्र (प्रपत्र 38) के आधार पर आयात किये जाने वाले माल के संबंध में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी । यदि शासन द्वारा प्रपत्र 38 के निर्गमन / प्रयोग आदि के संबंध में अन्यथा निर्देश दिये जाते हैं तो तद्नुसार अनुपालन किया जाएगा ।

2- चेकपोस्टों की समाप्ति के दिन से रेलवे परिसर अथवा उसके पास स्थित रेलवे चेकपोस्टें भी समाप्त हो जायेगी, तथा रेलवे से आने वाले माल के सम्बन्ध में फार्म- 38 / 39 का पृष्ठांकन **रेलवे चेकपोस्ट** के स्थान पर सम्बन्धित **रेलवे सचल दल के** अधिकारियों द्वारा किया जायेगा ।

3- जॉच चौकियों पर पंजीकृत व्यापारियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कर या अर्थदण्ड के रुप में उक्त अधिनियम की **धारा 6A** के अन्तर्गत ली जाने वाली समाधान राशि की व्यवस्था को चेकपोस्ट समाप्त होने की दशा में क्रियान्वित करना संभव न होगा । इस संबंध में जारी पूर्व सभी परिपत्रों को अतिक्रमित किया जाता है । चेकपोस्टें पर स्वत: घोषणा करते हुए समाधान राशि जमा करके जो माल प्रदेश के अन्दर लाया जाता था, सम्प्रति चेकपोस्ट समाप्ति के बाद उसे केवल **आयात घोषणा पत्र (फार्म 38/39) के माध्यम से ही आयात किया जा सकेगा** । जिन वस्तुओं पर **अग्रिम राजस्व** जमा करने की व्यवस्था है वह **यथावत प्रभावी रहेगी** । यदि कोई माल बिना आयात घोषणा पत्र के परिवहित करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस एवं अभिग्रहण आदेश देते हुए जमानत/अर्थदण्ड जमा करायी जाएगी । अत: इस संबंध में सम्यक प्रचार-प्रसार किया जाए और जोन स्तर पर पंजीयन हेतु इच्छुक व्यापारियों को तत्काल पंजीयन कराने की सुविधा अथवा सचल पंजीयन इकाई की व्यवस्था की जा सकती है ।

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

कोई पारगमन पत्र **जारी अथवा खारिज** नहीं किया जाएगा। जो बहती है, उन्हें निर्गमन (Exit) स्थल पर दि0- 05-08-09 तक खारिज कराई जा सकेगी।

5- प्रदेश के बाहर से माल लेकर प्रदेश से होते हुए प्रदेश के बाहर जाने वाले माल के साथ माल से संबंधित प्रपत्रों यथा बिल /बिल्टी आदि के अतिरिक्त पारगमन घोषणा पत्र के रुप में एक फार्म रखना आवश्यक होगा जो विभागीय वेबसाइट Com tax.up.nic.in पर उपलब्ध प्रारुप से डाउनलोड किया जायेगा। इसे प्रान्त के अन्दर प्रवेश के पूर्व उक्त फार्म की सभी प्रविष्टियॉ भर कर **डाउनलोड करना होगा।** पारगमन घोषणा पत्र में परिवहन के **रुट की भी घोषणा करनी होगी।** जिसमें प्रदेश में प्रवेश एवं निकासी स्थान के साथ-साथ **दो महत्वपूर्ण स्थानों की** घोषणा करना आवश्यक होगा। प्रान्त से होकर जाने वाले माल को प्रान्त के अन्दर घोषित स्थानों पर **पल्टी किया जा सकेगा।** पल्टी करने के बाद उस माल का परिवहन करते समय उसी पारगमन घोषणा पत्र में **नये ट्रक संख्या का अंकन** करते हुए माल का परिवहन किया जा सकेगा। प्रदेश के अन्दर से गुजरने वाला माल यदि पारगमन घोषणा पत्र में उल्लिखित रुट से **भिन्न रुट में** पाया जायेगा तो प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का आधार होगा कि करापवंचन के उद्देश्य से ऐसे माल को प्रान्त बाहर से आयात करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में कारण बताओ नोटिस देते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। पारगमन घोषणा पत्र प्रदेश के अन्दर प्रवेश की घोषित तिथि से **अधिकतम 4 दिनों के लिए वैध होगा।**

6- यदि किसी वाहन में केवल प्रान्त से होकर बाहर जाने योग्य माल घोषित है तो ऐसे वाहन का प्रथम बार सचल दल द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने पर पारगमन घोषणा पत्र पर अपनी सील सहित हस्ताक्षर कर दिया जायेगा और रास्ते में अन्य सचल दल इकाईयों द्वारा भी वाहन / माल की **चेकिंग की जायेगी** किन्तु सामान्य रुप से **दो बार से अधिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जायेगा** और दो बार भौतिक सत्यापन कराये जाने की स्थिति में डिटेंशन मेमो/कारण बताओ नोटिस में इसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

7- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम एवं नियमावली में प्रदेश के अन्दर माल आयात किये जाने एवं प्रदेश से होकर माल का पारगमन किये जाने की अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित है। अत: प्रान्त में आयात किये जाने वाले माल एवं प्रान्त से होकर बाहर जाने वाले माल को **एक वाहन में न परिवहित** करने के लिए ट्रांसपोर्टरों / व्यापारियों को प्रेरित किया जाय जिससे उनके द्वारा अधिक सुगमता से माल का परिवहन किया जा सके।

8- चेकपोस्ट पर तैनात **कार्मिकों के समायोजन** की कार्यवाही मुख्यालय द्वारा और **अभिलेखों एवं चल/अचल सम्पत्ति** के संबंध मे आवश्यक प्रबन्ध संबंधित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) / संभागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के स्तर से जोनल एडीशनल कमिश्नर के निर्देशन में किया जाएगा।

9- इस परिवर्तित व्यवस्था का सम्यक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। यह व्यवस्था दिनांक 30/31 जुलाई 2009 की अर्द्ध रात्रि से प्रभावी होगी। इन निर्देशों /व्यवस्था का उल्लंघन **उक्त अधिनियम की धारा 54** की **सुसंगत उपधाराओं** के अन्तर्गत **अर्थदण्ड आरोपित** किये जाने योग्य कृत्य माना जायेगा।

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

र्देशित कर दिया जाए कि दिनांक 05-08-09 तक पारगमन प्राधिकार चालकों को यथावश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा पारगमन घोषणा पत्र की नई व्यवस्था का ... प्रसार करते हुये उनकी कठिनाइयों का नियमों के अन्तर्गत निराकरण करायेंगे। ऐसे माल के परिवहन में जबतक की करापवंचन का मामला पूर्णतया स्थिर नही हो जाता तबतक उनके विरुद्ध अर्थदण्ड / जमानत की कार्यवाही नही की जाएगी अपितु संशय की स्थिति में ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर से निर्देश प्राप्त करते हुये सम्यक कार्यवाही की जाएगी।

ह0

(अनिल संत)

कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक-उक्त</u>।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
3. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
6. एडीशनल कमिश्नर (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/उ0न्या0कार्य0/सर्वो0न्या0कार्य)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
8. समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
9. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी ,वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
11. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
12. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
13. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
14. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद
15. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
16. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
17. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
18. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर।
19. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।
20. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
21. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
22. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
23. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
24. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

...न, डी-4, साइट सं0-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद ।
...एशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
...मी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधितज्वाइन्टकमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से ।

28. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
29. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर0-15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
30. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद ।
31. श्री मदनमोहन भारतीय, एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन, 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर ।
32. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
33. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
34. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर ।
35. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
36. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
37. इन्डियन इंड0एसो0, 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
38. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिकएंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52 नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
39. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
40. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
41. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
42. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।
43. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।
44. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
45. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
46. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।
47. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ ।
48. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
49. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
50. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ ।